राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई–ग्रास/2019–20/2869 जयपुर, दिनांक: 23/02/2023

परिपत्र

राज्य में समस्त भार वाहनों की कर वसूली का कार्य 15 मार्च, 2023 से पूर्व सुनिश्चित किया जाना है। मोटर वाहन करों की अदायगी में ऑनलाईन इन्टरफेस को बढावा देने तथा अभिलेख का संपूर्ण Digitization सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से माह मार्च, 2023 के दौरान कर संग्रहण कार्य के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैंः–

1. कर राशि का नगद संग्रहण केवल वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जावेगा। वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए कार्यालय के काउंटर पर रु. 5000 से अधिक राशि का कर दिनांक 31.03.2023 तक ही जमा कराया जा सकेगा।

   * किसी भी स्थिति में कर संग्रहण हस्तलिखित (मैन्युअल) नहीं लिया जावेगा।

2. यह व्यवस्था राज्य में कर संग्रहण वास्ते अमल में लायी जा रही है अतः करदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार अत्यंत आवश्यक है इस हेतु निम्न कार्यवाही प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा संपादित की जावेगी।

i) प्रादेशिक/जिला परिवहन/उप परिवहन कार्यालय आवश्यकतानुसार ऑफिस में अथवा ऑफिस से बाहर अतिरिक्त काउंटर माह मार्च, 2023 में लगाकर कर संग्रहण को तेजी प्रदान करेंगें। यदि आवश्यकता हो तो इंटरनेट के लिए डॉगल इत्यादि डिवाइस प्रयोग में लेंगें परंतु offline कर जमा नहीं किया जावेगा।

ii) कार्यालय परिसरों में (उप परिवहन कार्यालय सहित) सहज दृश्य स्थान पर एक 8''4' फीट का पूर्वानुसार बैनर लगायेंगें जो की सभी कार्यालयों में एक समान तरह का होगा। अन्य प्रमुख स्थलों यथा कर संग्रह केन्द्र, ट्रांसपोर्ट यूनियन एंव टोल टैक्स प्लाजा पर भी आवश्यकतानुसार बैनर लगाये जावें। लगाये गए बैनर का फोटोग्राफ मुख्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

iii) प्रादेशिक/जिला /उप परिवहन कार्यालय नकद संग्रहण राशि की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संग्रहित राशि को अविलंब नियमान्तर्गत राजकोष में जमा करवाने हेतु संबधित को निर्देशित करेगें तथा 24 घण्टे की समयावधि में राशि राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

iv) मोटर वाहन उपनिरीक्षक/निरीक्षक को जिले में आवंटित कार्यक्षेत्र समस्त ट्रकों/वाहनों का कर निर्धारित समयावधि में **विभागीय एप्लीकेशन वाहन 4.0** पर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

v) करदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस आशय के समाचार को प्रमुखता से सभी मुख्य–मुख्य दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय प्रकाशनों में निरंतर रूप से छपवायें।

माह मार्च, 2023 में सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी कार्यालय तथा लगाये गए काउन्टर्स दिन भर खुले रहेगें। राजकीय अवकाश दिनों में केवल कर संग्रहण कार्य ही किया जावेगा।

3 i) उक्त परिवर्तित व्यवस्था अनुसार अब परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक के स्तर पर कोई कर संग्रहण नहीं किया जावेगा। परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षकों द्वारा मुख्य मार्गों पर सघन प्रवर्तन कार्यवाही की जावेगी ताकि करवंचना की संभावना नगण्य हो सके।

ii) उक्त व्यवस्था का प्रभावी पर्यवेक्षण विभागीय ओदश क्रमांकः 28816 दिनांक 02.12.2022 द्वारा नियुक्त क्षेत्रवार मुख्यालय प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश वित्त विभाग की आई डी क्रमांक 262300008 दिनांक 21.02.2023 द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

d://hindi letter 2023/235

क्र. एफ 16 (16)(5) परि/लेखा/राजस्व/ई–ग्रास/2019–20/2870-76 जयपुर, दिनांक: 23/02/20.

प्रतिलिपि:– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी), शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
7. नोडल अधिकारी वेबसाइट, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करावें।

23/02/2023

वित्तीय सलाहकार

d://hindi letter 2023/230